

राजस्थान-सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर।
क्रमांक: प.7(940)/निचिस्वा/विधि/अव./13/ 43

दिनांक:- 20/11/15

सहायक लेखाधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर-प्रथम एवं समन्वयक।

विषय:-एस.बी.सि.अवमानना याचिका संख्या: 1497/2014 (अन्तर्गत एस0बी0 सि0 रिट याचिका संख्या 454/2012) हीरा लाल (च0श्रे0क0) बनाम श्री मुकेश शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर व अन्य।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त अवमानना प्रकरण में प्रत्यर्थागण की ओर से आपको समन्वयक एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः आप इस प्रकरण के लिए श्री एस0के0गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से सम्पर्क कर अवमानना प्रकरण का जवाब तैयार करवाकर माननीय न्यायालय में पेश कराने की कार्यवाही करावें जिससे इस प्रकरण का निस्तारण हो सकें।

प्रकरण में पारित निर्णय की पूर्ण पालना सक्षम स्तर से कराये जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7()/निचिस्वा/विधि/10/513 दिनांक 24.02.10 की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि पारित निर्णय की पालना संबंधी दायित्व का निर्वहन करते हुये प्रकरण में आप द्वारा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को समय-समय पर अवगत कराते रहे।

फलस्वरूप पूर्व में पत्रांक प.7(570)/निचिस्वा/विधि/अव./14/30 दिनांक 16.01.2015 द्वारा प्रकरण में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जयपुर-प्रथम को समन्वयक नियुक्त करने संबंधी आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक:- 20/11/15

क्रमांक: प.7(940)/निचिस्वा/विधि/अव./13/ 43
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव (विधि), राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वाणंत केस प्रभारी अधिकारी/समन्वयक आदेश संबंधित केस प्रभारी अधिकारी/समन्वयक को तामिल करवाकर तामिल रसिद भिजवाना सुनिश्चित करें तथा प्रकरण की प्रगति को समय-समय पर लाईट्स की वेबसाईट पर अपडेशन करवाना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।
5. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), जयपुर-प्रथम एवं पूर्व समन्वयक को भेजकर लेख है कि प्रकरण से संबंधित समस्त रिकार्ड/पत्रावली नव नियुक्त समन्वयक को शीघ्र उपलब्ध करावें।
6. श्री एस0के0गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर तथा संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
8. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
9. रक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर